न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 193/2023
अनवान : –

1. पार्वती देवी पत्नी भोमराज जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 16/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 73/72 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि में से 76/1075 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया के पति का नाम भोजराज दर्ज है जो की गलत है वादीया का पति का सही व वास्तविक नाम भोमराज है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजो यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में अंकित है। वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है अतः वादीया मुताबिक दस्तावेज अपने पति का नाम राजस्व रिकार्ड में भोमराज के स्थान पर भोमराज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का सही नाम दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्ता वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया के पति सही नाम मुताबिक समस्त दस्तावेजात भोमराज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भोजराज दर्ज है जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीया अपनी खा[illegible] नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible]वली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 73/72 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

76/1075 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का नाम भोजराज दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादीया के पति का नाम भोमराज दर्ज है अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनतोष स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 73/72 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि में से 76/1075 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम पार्वती पत्नी भोजराज के स्थान पर पार्वती पत्नी भोमराज के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पार्वती पत्नी भोजराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पार्वती पत्नी भोजराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम पार्वती पत्नी भोजराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

पंकज गढ़वाल (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 193/2023

अनवान : –

1. पार्वती देवी पत्नी भोमराज जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 193 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 73/72 की कुल 1.0750 हैक्ट भूमि में से 76/1075 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम पार्वती पत्नी भोजराज के स्थान पर पार्वती पत्नी भोमराज के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पार्वती पत्नी भोजराज के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पार्वती पत्नी भोजराज के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम पार्वती पत्नी भोजराज ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 16/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

पंकज गढ़वाल (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:13 IST
Reason: SelfAttested